

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	मिथलेश सोनी, बा0 फागी - जयपुर	15.08.1958	31/08/2018
2	लीला तिवारी, गंगापुर - भीलवाडा	02.10.1958	31/10/2018
3	संतोष भटनागर, बा0 शिवाजी नगर - जालोर	17.01.1959	31/01/2019
4	भंवर सिंह, राजास - सीकर	02.10.1958	31/10/2018
5	रमेश चन्द्र त्रिवेदी, कोसाना - जोधपुर	25.01.1959	31/01/2019
6	बुद्धाराम पटेल, खुडाला - जोधपुर	11.01.1959	31/01/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।


  
(नथमल डिंडेल)  
आइ.ए.एस.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक- 20.09.18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2018-19  
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**  
**आदेश**

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि धार बडगांव - उदयपुर जिनकी जन्म तिथि:- 07.02.1960 ने दिनांक 20.06.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.10.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा,, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि धार बडगांव - उदयपुर प्रन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ पूर्ण करने पर संबंधी शर्त पूर्ण करते है । अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 01.10.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री रोहताश कुमार के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

आइ.ए.एस

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018-19

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उदयपुर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि धार बडगांव - उदयपुर
5. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि धार बडगांव - उदयपुर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

दिनांक- 20.09.18



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 20 09 -18

**आदेश**

श्री रामजी लाल , प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि जसना-नोहर - हनुमानगढ जिनकी जन्म तिथि:- 18/08/1961 है, का निधन दिनांक :- 12.08.2018 को हो चुका है। अतः श्री रामजी लाल, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 12/08/2018 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री रामजी लाल, प्राध्यापक, के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 20 09 -18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जैसलमर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि जसना-नोहर - हनुमानगढ
5. आश्रित श्री रामजी लाल , प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि जसना-नोहर - हनुमानगढ
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 20.09-18

**आदेश**

श्री प्रेमचन्द, प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि सांगड - जैसलमेर जिनकी जन्म तिथि:- 17/08/1960 है, का निधन दिनांक :- 04.08.2018 को हो चुका है। अतः श्री प्रेमचन्द, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 04/08/2018 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री प्रेमचन्द, प्राध्यापक, के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 20.09-18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जैसलमेर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि सांगड - जैसलमेर
5. आश्रित श्री प्रेमचन्द, प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि सांगड - जैसलमेर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कामिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018


दिनांक- 20.09-18

**आदेश**

श्रीमती नीतू मंगलानी, प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि कुथाडो खुर्द - जयपुर जिनकी जन्म तिथि:- 19/09/1974 है, का निधन दिनांक :- 03.08.2018 को हो चुका है। अतः श्रीमती नीतू मंगलानी, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 03/08/2018 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती नीतू मंगलानी, प्राध्यापक, के विरुद्ध आज तक

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिलेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 20.09-18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि कुथाडो खुर्द - जयपुर
5. आश्रित स्व. श्रीमती नीतू मंगलानी, प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि कुथाडो खुर्द - जयपुर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 20.09-18

### आदेश

श्रीमती साधना श्रीमाली, प्राध्यापक- हिन्दी बा0 रेजिडेन्सी - उदयपुर जिनकी जन्म तिथि:- 13/05/1973 है, का निधन दिनांक :- 16.08.2018 को हो चुका है। अतः श्रीमती साधना श्रीमाली, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 16/08/2018 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती साधना श्रीमाली, प्राध्यापक, के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 20.09-18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उदयपुर
4. प्रधानाचार्य, बा0 रेजिडेन्सी - उदयपुर
5. आश्रित स्व. श्रीमती साधना श्रीमाली, प्राध्यापक- हिन्दी बा0 रेजिडेन्सी - उदयपुर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर